।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 31.07.2023 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 31.07.2023 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री यू.एल. छानवाल, सदस्य
   महानिरीक्षक पुलिस कारागार
   राजस्थान, जयपुर।
2. श्री अवधेश मीणा, सदस्य
   संयुक्त शासन सचिव,
   गृह (ग्रुप-12) विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।
3. श्री विक्रम सिंह, सदस्य
   महानिरीक्षक कारागार
   राजस्थान, जयपुर।
4. श्री दिलबाग सिंह, सदस्य
   उप निदेशक
   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।

बैठक में राज्य की कारागृहों से प्राप्त 642 बंदियों के प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन प्रकरणों में समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

1. स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

क्र. सं.	बंदी	वर्तमान कारागृह	टिप्पणी
1.	सत्तार पुत्र बाबू खान	जि.का. टोंक	-
2.	रतनलाल उर्फ बट्टू पुत्र हीरालाल	के.का. उदयपुर	फरारी प्रकरण निस्तारित
3.	गोपाल पुत्र प्रेमनारायण पाण्डे	के.का. उदयपुर	-
4.	उस्मान पुत्र मौलाबक्स	के.का. जयपुर	
5.	नारायण पुत्र सुखा उर्फ सुखदेव	के.का. अजमेर	-

6.	कुरिया पुत्र लालेंग	के.का. उदयपुर	–
7.	दिनेश उर्फ दीना पुत्र रणछोड	के.का. कोटा	–
8.	सारिका उर्फ पिंकी पत्नी कांतिलाल	म.बु.सु.जयपुर	–
9.	सुच्चासिंह पुत्र लखवीर सिंह	के.का.श्रीगंगानगर	–
10.	मुखरामदास पुत्र ओमदास	के.का. बीकानेर	–
11.	विजेन्द्र सिंह पुत्र मालसिंह	के.का. बीकानेर	–
12.	प्रभूराम पुत्र मोटाराम	के.का. बीकानेर	–
13.	बलजिन्द्र उर्फ बिन्दर सिंह पुत्र करनेल सिंह	के.का.श्रीगंगानगर	–
14.	किस्तुरी देवी पत्नी अशोक कुमार	म.बं.सु.जयपुर	–
15.	श्रवणराम पुत्र मोटाराम	के.का. बीकानेर	–
16.	लिच्छूराम पुत्र नानूराम	के.का. बीकानेर	–
17.	ठाकू पुत्र जैता	के.का. उदयपुर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर।
18.	हिम्मत सिंह पुत्र जगदीश सिंह	के.का. उदयपुर	–
19.	रामसहाय पुत्र श्रीलाल	जि.का. टोंक	–
20.	सुनील कुमार उर्फ छांगा पुत्र अमरसिंह	के.का. बीकानेर	–
21.	महेन्द्र पुत्र हाजा डामोर	के.का. उदयपुर	–
22.	भंवरसिंह पुत्र दलपत सिंह	के.का. उदयपुर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर।
23.	दिनेश पुत्र रूपलाल	के.का. उदयपुर	–

24.	सोहनी पत्नि नानाजी	के.का. उदयपुर	–
25.	बादर पुत्र लेम्बा रोत	के.का. उदयपुर	–
26.	नन्दलाल पुत्र परसाराम	के.का. अजमेर	–
27.	केशुराम पुत्र मोतीलाल	के.का. उदयपुर	–
28.	अंशुज पुत्र लेम्बा रोत	के.का. उदयपुर	–
29.	टोनू उर्फ सोनू पुत्र शोभाराम	के.का. कोटा	–
30.	रमेश चन्द्र उर्फ रामेश्वर पुत्र भैरूलाल	के.का. उदयपुर	–
31.	शौकत पुत्र अल्लादिता	के.का. बीकानेर	–
32.	पन्नालाल पुत्र देवा	के.का. उदयपुर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर।
33.	विशाल पुत्र दीवानसिंह	के.का. भरतपुर	–
34.	कैलाश पुत्र मादाराम	के.का. जोधपुर	–
35.	नरेश कुमार पुत्र रामकल्याण	के.का. कोटा	–
36.	अशोक उर्फ अश्विन पुत्र प्रवीण	के.का. उदयपुर	–
37.	महेन्द्र सिंह पुत्र गेर सिंह	के.का. उदयपुर	–
38.	सुरेन्द्र सिंह पुत्र दयाल सिंह	के.का. उदयपुर	–
39.	कालू उर्फ महेन्द्र पुत्र राजेन्द्र	वि.के.का. श्यालावास	–
40.	विजयसिंह पुत्र श्योनाथ	वि.के.का. श्यालावास	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर।
41.	गुलाबचन्द पुत्र जमनालाल	वि.के.का. श्यालावास	–
42.	हरिराम पुत्र भोमाराम	के.का. बीकानेर	–
43.	जसराज पुत्र रामचरण	के.का. कोटा	–
44.	सालूराम पुत्र रेवतराम	के.का. बीकानेर	–

45.	प्रकाश सिंह पुत्र मुन्ना सिंह	के.का. उदयपुर	–
46.	आसिफ उर्फ डम्मी पुत्र समशू	वि.के.का. श्यालावास	–
47.	राणाराम पुत्र रतनाजी	के.का. जोधपुर	–
48.	नन्दलाल पुत्र अर्जून लाल	के.का. अजमेर	–
49.	हरिराम पुत्र बगाराम	के.का. जोधपुर	–
50.	भूपेश सोनी पुत्र घनश्याम सोनी	वि.के.का. श्यालावास	–
51.	सोहन उर्फ सोवन पुत्र होमा उर्फ उमा	के.का. उदयपुर	–
52.	मुकेश पुत्र नगजी	वि.के.का. श्यालावास	–
53.	कमलगिरी उर्फ कमलसिंह पुत्र रामरतन	के.का. भरतपुर	–
54.	गुलफाम पुत्र लुकमान	के.का. जयपुर	–
55.	महावीर उर्फ महेन्द्र पुत्र जगदीशप्रसाद	के.का. कोटा	–
56.	पूनाराम पुत्र देवाराम	के.का. जोधपुर	–
57.	लटूर पुत्र आनन्दीलाल	के.का. कोटा	–
58.	छगनलाल पुत्र रामगोपाल	के.का. कोटा	–
59.	अरसद पुत्र जुम्मल	के.का. भरतपुर	–
60.	मीनाक्षी पत्नि अजय	के.का. अजमेर	–
61.	राजू पुत्र रतन	के.का. अजमेर	–
62.	मांगीलाल पुत्र शंकर लाल	के.का. उदयपुर	–
63.	किशोर उर्फ नन्दकिशोर पुत्र देवकरण	के.का. कोटा	–
64.	अमरेंग पुत्र कचरू	के.का. उदयपुर	–
65.	भंवरलाल पुत्र देवीलाल	के.का. कोटा	–
66.	शोभाराम पुत्र मंगाराम	के.का. कोटा	–
67.	रामपुरण पुत्र मोहनलाल	के.का. कोटा	–
68.	पुनम उर्फ पूरण उर्फ पवन पुत्र बंशीलाल	के.का. उदयपुर	–
69.	शांतिलाल उर्फ सोनू पुत्र जगन्नाथ	वि.के.का. श्यालावास	–
70.	भंवरसिंह पुत्र नाहरसिंह	के.का. उदयपुर	–
71.	रफीक कुरैशी पुत्र मोहम्मद ईशाक	के.का. जयपुर	–

72.	मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद अयूब खान	के.का. जयपुर	–
73.	श्रीकिशन पुत्र बद्री	वि.के.का. श्यालावास	–
74.	भोलू पुत्र लक्ष्मण	के.का. अजमेर	–
75.	पन्नेसिंह पुत्र मोतीसिंह	के.का. जोधपुर	–
76.	भंवरलाल पुत्र माधू	के.का. अजमेर	–
77.	कालू उर्फ लेखराज पुत्र दुर्गालाल	के.का. अजमेर	–
78.	श्यामलाल उर्फ श्याम चन्द पुत्र अमीर चन्द	के.का.श्रीगंगानगर	–
79.	देवीलाल उर्फ देवा पुत्र धना जी कलासुआ	के.का. उदयपुर	–
80.	राजाराम पुत्र मंगाराम	के.का. कोटा	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ -पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
81.	रणछाराम उर्फ रमेश पुत्र श्री रामाराम	के.का. जोधपुर	–
82.	करणाराम पुत्र लिखमाराम उर्फ लिखमीराम	के.का.बीकानेर	–
83.	सुजाराम उर्फ सुजानाराम पुत्र श्री धर्माराम	के.का. जोधपुर	–
84.	दिलीप पुत्र भगवान सिंह	के.का. भरतपुर	–
85.	इरफान पुत्र श्री अहमद	के.का. जोधपुर	–
86.	महेश पुत्र श्री हंसराज	के.का. जोधपुर	–
87.	कमलेश पुत्र सुखदेव	के.का. अजमेर	–
88.	कालूसिंह पुत्र श्री देवीसिंह	के.का. जोधपुर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ -पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर

89.	कुणालसिंह उर्फ सोनू पुत्र शंकरसिंह	वि.के.का. श्यालावास	–
90.	रतनलाल उर्फ भुपेन्द्र पुत्र हमेरा	के.का. उदयपुर	–
91.	कन्हैयालाल उर्फ कन्हीराम पुत्र घांसीलाल	के.का. कोटा	–
92.	राजेन्द्र सिहं पुत्र धर्मसिंह दत्तक काशीराम	के.का. कोटा	–
93.	भैरूलाल पुत्र श्रीपाल	के.का. कोटा	–
94.	श्रीमती भंवरी देवी पत्नी हीराजी	के.का. उदयपुर	–
95.	भूरालाल पुत्र बंशीलाल	के.का. कोटा	–
96.	हीरा देवी पत्नी स्व. बिरमाराम उर्फ रामकरण	महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर	–
97.	उदयलाल पुत्र वेणीराम	के.का. उदयपुर	–
98.	घीसूसिंह पुत्र श्री कालूसिंह	के.का. जोधपुर	–
99.	पवनलाल उर्फ पप्पु पुत्र वक्ता	के.का. उदयपुर	–
100.	चन्दरलाल पुत्र उदाजी	के.का. कोटा	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ -पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
101.	मगनीराम उर्फ मन्ना पुत्र वेणीराम	के.का. उदयपुर	–
102.	धन्नाराम पुत्र श्री भींयाराम उर्फ भप्पाराम	के.का. जोधपुर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ -पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
103.	सोहनलाल पुत्र चन्दाराम	के.का. जयपुर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ -पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर

104.	नानूराम पुत्र मोटाराम	के.का. बीकानेर	–
105.	सम्पतसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह	के.का. जोधपुर	–
106.	संजय पुत्र माधुलाल	के.का. उदयपुर	–
107.	अल्लादीन पुत्र बाबू खां	के.का. कोटा	–
108.	मुकेश कुमार पुत्र मानसिंह	के.का. भरतपुर	–
109.	गुरलाल पुत्र भजन सिंह	के.का.श्रीगंगानगर	–
110.	राकेशचन्द पुत्र पूर्णमल	के.का. बीकानेर	–
111.	शंकरलाल पुत्र श्यामलाल	के.का. जयपुर	–
112.	भैराराम पुत्र रतनाराम	के.का. बीकानेर	–
113.	महेन्द्र कटेवा पुत्र रतिराम	के.का. बीकानेर	–
114.	सुखदेव पुत्र श्री प्रेमप्रकाश भील	के.का. जोधपुर	–
115.	महेन्द्र पुत्र श्री गणेश	के.का. जोधपुर	–
116.	गणेश पुत्र श्री अखाराम	के.का. जोधपुर	–
117.	शकुल शर्मा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	के.का. जयपुर	–
118.	शिवजी उर्फ शिवराम पुत्र श्री मुरलीजी	के.का. जोधपुर	–
119.	बीरेन्द्र सिंह पुत्र ग्यासीराम	के.का. भरतपुर	–
120.	श्यामलाल पुत्र देवीलाल	के.का. कोटा	–
121.	अलीशेर पुत्र कोकल खॉ	वि.के.का. श्यालावास	–
122.	रमेश उर्फ रावण पुत्र बाबु	के.का. उदयपुर	–
123.	अर्जुनसिंह पुत्र श्री मदनसिंह	के.का. जोधपुर	–
124.	फूलचन्द पुत्र राधेश्याम	के.का. बीकानेर	–
125.	शिवराज उर्फ बंटी पुत्र मांगीलाल गुर्जर	के.का. कोटा	–
126.	शिवराज उर्फ कालू पुत्र रामकिशोर	के.का. भरतपुर	–
127.	रामकल्याण उर्फ कल्याण पुत्र श्योनाथ	के.का. कोटा	–
128.	गोपालराम पुत्र ईमरताराम	के.का. बीकानेर	–
129.	कैलाश पुत्र श्री हीराराम	के.का. जोधपुर	–
130.	रायसिहं पुत्र रामकिशन	के.का. कोटा	–
131.	आशा देवी पत्नी नानूलाल गुर्जर पुत्री कालूलाल	महिला बंदी सुधारगृह जयपुर	–
132.	अरूण उर्फ कल्लू पुत्र लाखन सिंह जाति कोली	के.का. भरतपुर	–

133.	विरेन्द्र पुत्र रतनसिंह जाति अहिर	वि.के.का. श्यालावास	–
134.	लक्ष्मण दास पुत्र श्री खेमचन्द जाति जीनगर	के.का. जोधपुर	–
135.	कालुराम उर्फ बुधराम उर्फ कृष्ण पुत्र हेतराम उर्फ रामचन्द्र	के.का. बीकानेर	–
136.	रामानन्द पुत्र श्रीचन्द	के.का. बीकानेर	–
137.	कमला पत्नी अमरचन्द	म.ब.सु.बीकोनर	–
138.	अब्दुल खालिक उर्फ खलिक पुत्र सत्तार	के.का. कोटा	–
139.	आमिन खान पुत्र मुनीर खान	के.का.श्रीगंगानगर	–
140.	मांगीलाल पुत्र श्री केशाराम	के.का. जोधपुर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ -पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
141.	अमरसिंह पुत्र श्योनाथ	वि.के.का. श्यालावास	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ -पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
142.	विष्णु टिंकर पुत्र रामकिशोर	के.का. भरतपुर	–
143.	मदन सिहं पृत्र पृथ्वीसिहं	के.का. कोटा	–
144.	सुनिल पुत्र श्री मांगीलाल	के.का. जोधपुर	–
145.	चान्दमल पुत्र ठाकरीमल	के.का. उदयपुर	–
146.	लालु पुत्र जीवणा	के.का. उदयपुर	–
147.	रमेश सिंह पुत्र जवाहर सिंह	के.का. अजमेर	–
148.	मौहम्मद लतीफ पुत्र ईदमौहम्मद	के.का. भरतपुर	–
149.	रवि उर्फ रविकरण उर्फ भाईसाहब पुत्र रघुनंदन	के.का. भरतपुर	–
150.	तहसीलदार पुत्र साहब सिंह	के.का. भरतपुर	–

151.	गोरव उर्फ गोलू पुत्र अमर सिंह	के.का. कोटा	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ -पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
152.	रमेश पुत्र किका रोत	के.का. उदयपुर	-
153.	प्रकाश पुत्र सुन्दरलाल छापरवाल	के.का. अजमेर	-
154.	शोदान सिंह पुत्र यशवंत सिंह	के.का. कोटा	-
155.	चन्द्रभान सिह पुत्र हरिलाल	के.का. भरतपुर	-
156.	पूनमचंद पुत्र लक्ष्मण सिह	के.का. अजमेर	-
157.	राजुराम पुत्र अर्जुनराम	के.का. बीकानेर	-
158.	राय सिंह पुत्र लालचन्द	के.का. कोटा	-
159.	संतोष पत्नी इन्द्रचन्द उर्फ इन्द्राराम	म.ब.सु. बीकानेर	-
160.	देवीलाल पुत्र श्रीराम	के.का. कोटा	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ -पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
161.	नरेश पुत्र हरलाल	के.का. बीकानेर	-
162.	पूनमचंद पुत्र बीजा	के.का. अजमेर	-
163.	भवानी लाल पुत्र जय किशन	के.का. अजमेर	-
164.	मुकेश कुमार पुत्र नारायणराम	के.का. बीकानेर	-

2. **<u>अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण</u>**

वरियता में होने पर भी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अंतर्गत साधारणतया व नियम 4 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया :-

क्र. सं.	बंदी	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	अनवर पुत्र रमजानी	के.का. बीकानेर	02 से अधिक 07 प्रकरणों में दण्डित एवं 03 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
2.	अशफाक खान पुत्र अब्दुल अजीज	के.का. जयपुर	टाडा एक्ट में दण्डित होने एवं विध्वंसकारी गतिविधियों में लिप्त होने।
3.	मोहम्मद शमशुद्धीन पुत्र मोहम्मद रूकमुद्धीन	के.का. जयपुर	टाडा एक्ट में दण्डित होने एवं विध्वंसकारी गतिविधियों में लिप्त होने।
4.	मोहम्मद अफाक खान पुत्र मोहम्मद मकसूद	के.का. जयपुर	टाडा एक्ट में दण्डित होने एवं विध्वंसकारी गतिविधियों में लिप्त होने।
5.	फजलुहमान सुफी उर्फ शमीम पुत्र अब्दुल रहमान सुफी	के.का. जयपुर	टाडा एक्ट में दण्डित होने एवं विध्वंसकारी गतिविधियों में लिप्त होने।
6.	मोहम्मद आमीन पुत्र मोहम्मद उस्मान	के.का. जयपुर	टाडा एक्ट में दण्डित होने एवं विध्वंसकारी गतिविधियों में लिप्त होने।
7.	पृथ्वीराज उर्फ पृथ्वी पुत्र भागीरथ	के.का. बीकानेर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं खुला बंदी शिविर से फरारशुदा।
8.	मोहम्मद एजाज अकबर पुत्र अब्दुल मजीद कमलापुरकर उर्फ अब्दुल्ला	के.का. जयपुर	टाडा एक्ट में दण्डित होने एवं विध्वंसकारी गतिविधियों में लिप्त होने।
9.	अब्रे रहमत अंसारी पुत्र नूर मोहम्मद अंसारी	के.का. जयपुर	टाडा एक्ट में दण्डित होने एवं विध्वंसकारी गतिविधियों में लिप्त होने।
10.	नरेन्द्र पुत्र सीताराम,	के.का. बीकानेर	02 से अधिक 08 प्रकरणों में दण्डित तथा 03 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
11.	लालचन्द उर्फ लालिया उर्फ लालिया डुम पुत्र राजू उर्फ कचरूमल	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376, 395, 460 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।

12.	प्रभूलाल पुत्र बलदेवा	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
13.	धोलू उर्फ प्रेमचन्द पुत्र मूंगाराम	के.का. जयपुर	मानसिक रोगी होने के कारण।
14.	राजू भील पुत्र कस्तुरा	के.का. अजमेर	02 से अधिक 08 प्रकरणों में दण्डित, पुलिस अभिरक्षा से फरारशुदा, लाचार एवं मानसिक रोगी होने के कारण।
15.	पवनपुरी पुत्र पूरणपुरी	के.का. उदयपुर	पुलिस अभिरक्षा से 02 बार फरार होने एवं विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधि- नियम, 1967 (आतंककारी गतिविधियां) में दण्डित।
16.	महेन्द्र सिंह पुत्र देवी सिंह	के.का. अजमेर	02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
17.	रोहिताश पुत्र कालूराम	के.का. जयपुर	मानसिक रोगी होने के कारण।
18.	विनोद कुमार पुत्र सोहनलाल	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 396 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित एवं पैरोल से फरारशुदा।
19.	रेणु उर्फ राजवीर पुत्र बाबू सिंह	के.का. कोटा	02 से अधिक 05 प्रकरणों में दण्डित एवं खुला बंदी शिविर से फरारशुदा।
20.	सुनिल उर्फ सोना पुत्र बिरमभाई	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में 20 वर्ष कारावास से दण्डित एवं खुला बंदी शिविर से फरारशुदा।
21.	धर्मेन्द्र सिंह उर्फ राजू उर्फ वीरू उर्फ जोनी पुत्र तरसेमसिंह	के.का. श्रीगंगानगर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन
22.	नागरमल पुत्र रामनाथ	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 27. 07.2022 को 02 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं खुला बंदी शिविर से दिनांक 19.03.2022 से 22.03.2022 तक फरार।

23.	पम्मा उर्फ परमजीत पुत्र अजायब सिंह	के.का. बीकानेर	बन्दी खुला शिविर में शराब का सेवन करने के कृत्य के लिए दिनांक 12.07.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
24.	हीर गिरी पुत्र नारायण गिरी	के.का. जोधपुर	खुला बंदी शिविर से दिनांक 22.02.2022 से 26.02.2022 तक फरारशुदा।
25.	श्योप्रकाश पुत्र श्योकरण	के.का. बीकानेर	02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित।
26.	जोगा सिंह पुत्र करनैल सिंह	उ.का.सु. अजमेर	खुला बंदी शिविर में अन्य बन्दी पर चाकू से हमला करने के कदाचार के कारण दिनांक 27.01.2023 को जेल दाखिल किया गया।
27.	सुनील पुत्र ईश्वर सिंह	के.का. बीकानेर	पैरोल से दिनांक 02.12.2006 से 06.03.2007 तक एवं खुला बंदी शिविर से दिनांक 01.11.2017 से 08.08.2020 तक फरारशुदा, 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
28.	गोपाल पुत्र हरजी	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
29.	केसर सिंह पुत्र औंकार सिंह	के.का. कोटा	पैरोल से दिनांक 10.12.2017 से 12.01.2020 तक फरारशुदा।
30.	सोनू उर्फ सानू पुत्र पूनमचन्द	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
31.	रूपराम पुत्र कृष्णलाल	के.का.श्रीगंगानगर	बंदी खुला शिविर से 02 बार दिनांक 07.10.2015 से 11.10.2015 तथा 09.09.2022 से 11.09.2022 तक फरारशुदा।
32.	राजूलाल पुत्र कजोड मल	के.का. जयपुर	दो से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं बन्दी खुला शिविर से फरारशुदा।

33.	नवाब अख्तर पुत्र युसुफ खान	के.का. जोधपुर	02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन
34.	मेजर सिंह पुत्र जगीन्द्र सिंह	के.का. बीकानेर	दिनांक 28.10.2020 से 30.10.2020 तक बन्दी खुला शिविर से फरारशुदा एवं फरारी प्रकरण विचाराधीन (जमानत पर)
35.	हडमत सिंह उर्फ हडमता पुत्र सवाजी	के.का. जोधपुर	बंदी खुला शिविर बाड़मेर मे शराब पीकर बन्दियों से झगडा करने के कदाचार पर दिनांक 10.09.2021 को जेल दाखिल हुआ।
36.	ओमप्रकाश पुत्र नथमल	के.का. जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 396 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित एवं पैरोल से फरारशुदा।
37.	सेला पुत्र तला	के.का. उदयपुर	खुला बन्दी शिविर से दिनांक 27.06.2022 से 28.06.2022 तक फरारी के कदाचार का दोषी पाये जाने पर दिनांक 11.07. 2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
38.	सवाई खां पुत्र फैजू खां	जि.का. टोंक	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।
39.	इमरान उर्फ दिल्ली वाला पुत्र इस्लाम खान	के.का. कोटा	02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
40.	राजेन्द्र पुत्र जंगलीराम	वि.के.का. श्यालावास	बंदी खुला शिविर से दिनांक 02.01.2018 से 25.01. 2018 तक फरारशुदा।
41.	सुनील उर्फ लीडर पुत्र रामकुमार	के.का., जयपुर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं 04 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
42.	कैलाश नाथ पुत्र ऊंकार नाथ	के.का. कोटा	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।
43.	नारायण पुत्र लालूराम	के.का. उदयपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।

44.	इन्द्रजीत सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह	के.का. जोधपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन
45.	सुभाष पुत्र दौलतराम	के.का. बीकानेर	02 से अधिक 07 प्रकरणों में दण्डित एवं पैरोल से फरारशुदा।
46.	अजीत कुमार पुत्र रामकुमार	के.का. बीकानेर	पैरोल से फरारशुदा, 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित तथा 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन
47.	कोमल सिंह पुत्र राम सिंह	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित तथा 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
48.	बाबुलाल पुत्र काना	के.का. उदयपुर	मानसिक रोगी होने के कारण।
49.	लक्ष्मण पुत्र मांगीया	के.का. उदयपुर	मानसिक रोगी होने के कारण।
50.	मुस्तफा पुत्र महबुब खां	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
51.	सुरेश पुत्र गंगाराम	के.का. उदयपुर	खुला बंदी शिविर से फरारशुदा एवं 01 अन्य प्रकरण विचाराधीन।
52.	विजेन्द्र सिंह यादव उर्फ टील्लू पुत्र महावीर सिंह	के.का., जयपुर	दिनांक 28.02.2023 से 18.03.2023 तक खुला बंदी शिविर से फरारशुदा तथा फरारी प्रकरण में विचाराधीन।
53.	अखेसिंह पुत्र भंवरसिंह	के.का. जोधपुर	02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।
54.	सिराज अहमद उर्फ नसिरुदीन पुत्र रहीम बक्श उर्फ बोदू खाँ	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376, 377 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित, पैरोल से फरारशुदा।
55.	शिवलाल पुत्र प्यारा	के.का. उदयपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर) एवं दिनांक 05.10.2014 से 24.12.2016 तक पैरोल से फरारशुदा।

56.	मेहरबान पुत्र रामलाल	के.का. कोटा	दिनांक 08.05.2023 को जेल दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण।
57.	मदन उर्फ मदनिया पुत्र मोडिया	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित एवं पैरोल से फरारशुदा।
58.	मिखेल भुईया उर्फ राजु टोपन उर्फ मिथलेश पुत्र फिलिप भुईया	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित।
59.	देवनारायण उर्फ शंकर पुत्र शिम्भुदयाल	के.का. जयपुर	02 से अधिक 05 प्रकरणों में दण्डित तथा मानसिक रोगी होने के कारण।
60.	राधेश्याम उर्फ राजू पुत्र रणधीर सिंह	के.का. बीकानेर	दिनांक 27.08.2012 से 29.08.2012 तक पैरोल से व 01.07.2016 से 23. 10.2017 एवं 18.06. 2019 से 09.04.2021 तक खुला बंदी शिविर से फरारशुदा तथा मानसिक रोगी।
61.	कुलदीप पुत्र बलदेव सिंह	के.का. बीकानेर	02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित तथा मानसिक रोगी होने के कारण।
62.	अमित कुमार जोशी पुत्र कैलाशचंद जोशी	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
63.	युसुफ मोहम्मद पुत्र सईदुल्लाह खान उर्फ लाडू	के.का. जोधपुर	दिनांक 01.06.2019 से 27.07.2019 तक एवं 26.11.2020 से 01.12.2020 तक पैरोल से फरारशुदा एवं दोनों फरारी प्रकरण में विचाराधीन।
64.	शंकरलाल पुत्र गांगाजी	के.का. उदयपुर	दिनांक 11.10.2018 से 05.11.2018 तक खुला बंदी शिविर से फरारशुदा एवं मानसिक रोगी होने के कारण।

65.	नारायण लाल पुत्र रता उर्फ रतनलाल	के.का. उदयपुर	मानसिक रोगी होने के कारण।
66.	सलीम उर्फ रफीक पुत्र गफुर मोहम्मद	के.का. अजमेर	07 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
67.	रतनलाल पुत्र पोखर लाल	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
68.	विरेन्द्र सिंह उर्फ अरबी पुत्र सवाई सिंह	वि.के.का. श्यालावास	खुला बंदी शिविर में कदाचार के कारण दिनांक 09.04.2021 को जेल दाखिल।
69.	कालू खाँ पुत्र शकूर खाँ	के.का. जोधपुर	माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.10.2019 की अनुपालना में बन्दी खुला शिविर का लाभ देय नहीं।
70.	शहाबुद्धीन पुत्र शकूर खाँ	के.का. जोधपुर	माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.10.2019 की अनुपालना में बन्दी खुला शिविर का लाभ देय नहीं।
71.	सुबान खां पुत्र इस्माईल खां	के.का. जोधपुर	दिनांक 20.08.2020 से 26.08.2021 तक बन्दी खुला शिविर से फरारशुदा एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
72.	बल्भाराम पुत्र घासीराम	उ.सु.का. अजमेर	02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
73.	रहीम बक्स पुत्र शकूर खाँ	के.का. जोधपुर	माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.10.2019 की अनुपालना में बन्दी खुला शिविर का लाभ देय नहीं।
74.	उस्मान पुत्र शकूर खाँ	के.का. जोधपुर	माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.10.2019 की अनुपालना में बन्दी खुला शिविर का लाभ देय नहीं।
75.	पिंकू कुमार पुत्र राजूदीन	के.का. बीकानेर	मानसिक रोगी होने के कारण।
76.	रमेश पुत्र हरजी	वि.के.का. श्यालावास	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
77.	कैलाशचन्द पुत्र लादूलाल	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित।

78.	मुकेश उर्फ कमलेश उर्फ मलकेश पुत्र कानजी उर्फ हरजी हटीला	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 396 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
79.	नरेश पुत्र रामसिंह	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 396 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित।
80.	गोविन्द सिंह पुत्र उम्मेद सिंह	के.का. बीकानेर	2 से अधिक 4 प्रकरणों में दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
81.	जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र ताराचंद	के.का. जोधपुर	02 से अधिक 03 प्रकरणों मे दण्डित, 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन एवं दिनांक 24.04.2017 से 16.03.2019 तक पैरोल से फरारशुदा।
82.	जसाराम पुत्र हीराराम जी	के.का. जोधपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
83.	नजीर खां पुत्र मीरू खां	के.का. जोधपुर	विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम,1967 (आतंककारी गतिविधियां) में दण्डित।
84.	सोढा खान उर्फ सोबदार उर्फ लूणिया पुत्र हाजी ऐहदी	के.का. जोधपुर	विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम,1967 (आतंककारी गतिविधियां) में दण्डित।
85.	देवा पुत्र खेतिया	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 396 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
86.	शंकर सिंह पुत्र नाथूसिंह	जि.का., टोंक	दिनांक 23.10.2021 से 11.11.2021 तक खुला बंदी शिविर पेट्रोल पम्प से पैसे लेकर फरारशुदा।
87.	खानू खान उर्फ खानिया पुत्र मारूफ	के.का. जोधपुर	विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम,1967 (आतंककारी गतिविधियां) में दण्डित।
88.	राजू पुत्र खेतिया	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 396 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित एवं मानसिक रोगी।
89.	कुकु पुत्र रण सिंह	के.का. बीकानेर	मानसिक रोगी होने के कारण।

90.	रामावतार उर्फ पप्पू पुत्र मंगलाराम	के.का. बीकानेर	दिनांक 12.10.2021 को जेल दण्ड से दण्डित।
91.	मुकेश उर्फ पप्पू पुत्र प्रभात्या उर्फ प्रभातीलाल	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
92.	दीपू उर्फ दीपक पुत्र किशनलाल	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
93.	सुभाष उर्फ पपीया पुत्र गणपतराम	के.का. बीकानेर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।
94.	विपिन उर्फ विवेक उर्फ विकेश उर्फ विका पुत्र धन्ना	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित।
95.	देवीसिंह पुत्र भंवर सिंह	के.का. उदयपुर	बन्दी खुला शिविर से फरारशुदा एवं 01 अन्य प्रकरणों में विचारधीन।
96.	तेजमल पुत्र मांगीलाल	के.का. कोटा	न्यायालय द्वारा बंदी को मृत्यु होने तक आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है।
97.	विनीत उर्फ टिंकु पुत्र रोड़ीलाल	के.का. उदयपुर	दिनांक 18.05.2022 को जेलदण्ड से दण्डित।
98.	अनिल पुत्र कामता	के.का. जयपुर	मानसिक रोगी होने के कारण।
99.	कालू उर्फ जमाल खाँ पुत्र छोटू खाँ	के.का. अजमेर	खुला बंदी शिविर से दिनांक 14.04.2021 से 17.04. 2021 तक फरारशुदा।
100.	विजय कुमार उर्फ खुशीलाल पुत्र दरपी उर्फ दुखीलाल	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 396 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
101.	संजय कुमार उर्फ संजू पुत्र हंसराज	के.का.श्रीगंगानगर	खुला बंदी शिविर में कर्मचारियों के साथ गाली-गलौच करने के कदाचार के कारण दिनांक 26.12.2021 को जेल दाखिल।

102.	किशनलाल उर्फ किशोर कुमार पुत्र गणेशलाल	के.का. उदयपुर	पुलिस अभिरक्षा से फरारशुदा, 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं दिनांक 04.12.2022 को जेलदण्ड से दण्डित।
103.	गुड्डु सर्किट उर्फ अब्दुल रफीक पुत्र अब्दुल हमीद	के.का. कोटा	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।
104.	गुड्डूदास उर्फ गुडिया पुत्र भीमदास	के.का. उदयपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन तथा मानसिक रोगी होने के कारण।
105.	आबिद मोहम्मद कुरैशी पुत्र फजलुहमान	के.का. जयपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
106.	सुनिल पुत्र निक्काराम	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
107.	सोहनलाल उर्फ वक्ता पुत्र वज्जा माईडा	के.का. उदयपुर	दिनांक 18.05.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
108.	महेन्द्र उर्फ नरेन्द्र कुमार उर्फ धर्मेन्द्र कुमार पुत्र मांगीलाल	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
109.	गौतम पुत्र राजाराम	जि.का. टोंक	खुला बंदी शिविर में अन्य बन्दियों से झगडा व स्टाफ को धमकी देने के कदाचार के कारण दिनांक 18.08.2021 को जेल दाखिल।
110.	राजू उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र समरथाराम	के.का. बीकानेर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन एवं दिनांक 06.05.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
111.	राधेश्याम पुत्र आनन्दीलाल	के.का. कोटा	खुला बंदी शिविर से दिनांक 09.07.2021 से 05.09. 2021 तक फरारशुदा।
112.	अशोक कुमार उर्फ अशोकी (शोकी) पुत्र हनुमान	जि.का. टोंक	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।

113.	पप्पूराम पुत्र देवाराम	के.का. जोधपुर	दिनांक 02.03.2007 से 10.05.2021 तक पैरोल से फरारशुदा।
114.	पवन पुत्र बद्रीप्रसाद	जि.का. टोंक	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित तथा खुला बंदी शिविर से फरारशुदा।
115.	भाणुनाथ पुत्र सांवतनाथ उर्फ श्योपतनाथ	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में दण्डित।
116.	जयभगवान पुत्र मांगीलाल	जि.का., टोंक	खुला बंदी शिविर से दिनांक 23.12.2019 से 27.12.2019 तक फरारशुदा एवं मानसिक रोगी होने के कारण।
117.	अर्जुन सिंह पुत्र हीरा सिंह	के.का. उदयपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन एवं प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
118.	मोहन लाल पुत्र बिरदाराम	के.का. जयपुर	बन्दी खुला शिविर में पत्नि से झगडा करने एवं मानसिक रोग का उपचार करने हेतु दिनांक 31.05.2022 को जेल दाखिल।
119.	जय सिंह उर्फ विरेन्द्र सिंह पुत्र किशन सिंह	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास (40 वर्ष से कम नहीं होगी) से दण्डित।
120.	गजेन्द्र पुत्र कृष्णमुरारी	के.का. अजमेर	पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
121.	मुसा पुत्र सदीक उर्फ सबीया	के.का. जोधपुर	विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम,1967 (आतंककारी गतिविधियां) में दण्डित।
122.	शंकरलाल पुत्र जगन्नाथ	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित एवं पैरोल से फरारशुदा।

123.	राजेन्द्र उर्फ गौरू पुत्र हेतराम	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. एवं पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
124.	प्रभुराम पुत्र ओबाजी	के.का. जोधपुर	दिनांक 16.07.2019 से 14.12.2019 तक पैरोल से फरारशुदा एवं फरारी प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।
125.	सफर मोहम्मद उर्फ गोलू पुत्र मोहम्मद अजीज	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास (अंतिम श्वास तक) से दण्डित।
126.	आबिद हुसैन पुत्र अब्दुल शकुर	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास व पोक्सो एक्ट, 2012 में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
127.	बाबूलाल पुत्र मथुरालाल	के.का. कोटा	दिनांक 20.09.2022 से 24.09.2022 तक ब.खं.शि. से फरारशुदा एवं फरारी प्रकरण में विचाराधीन।
128.	अशोक कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद	वि.के.का. श्यालावास	खुला बंदी शिविर से दिनांक 12.10.2021 से 03.12.2021 तक फरारशुदा।
129.	जगाराम उर्फ जगदीश पुत्र रूघनाथराम	के.का. जोधपुर	खुला बंदी शिविर से फरारशुदा एवं 03 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन जिनमें से 01 प्रकरण में जमानत पर।
130.	रामभरोसी सहनी पुत्र प्रीतम सहनी	के.का. जयपुर	मानसिक रोगी होने के कारण।
131.	दुर्गाशंकर पुत्र छोटूलाल	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
132.	सुरेश बैरवा पुत्र कस्तुरचंद	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

133.	रावजी पुत्र जीवणा	के.का. जोधपुर	खुला बंदी शिविर से दिनांक 10.10.2018 से 12.08.2021 तक फरारशुदा एवं फरारी प्रकरण में विचाराधीन।
134.	लाला उर्फ लालशंकर उर्फ जीगर पुत्र गटु उर्फ गटूलाल	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) से दण्डित।
135.	जगदीश पुत्र हुकमाराम	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) से दण्डित।
136.	कलाम पुत्र हुसैन भाई	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
137.	गणेशराम पुत्र ओबाजी	के.का. जोधपुर	खुला बन्दी शिविर से दिनांक 24.11.2021 से 14.02.2022 तक फरारशुदा एवं फरारी प्रकरण विचाराधीन।
138.	नत्थुराम उर्फ नथाराम पुत्र भंवरलाल	के.का. जोधपुर	खुला बंदी शिविर में कार्य नहीं करने के कदाचार के कारण दिनांक 11.02.2023 को जेल दाखिल।
139.	सन्नी उर्फ दीपक पुत्र भागचन्द	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. व पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (जमानत पर)
140.	मुस्ताक उर्फ आरिफ पुत्र मजीद	वि.के.का. श्यालावास	04 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
141.	जीतूराम पुत्र भतमाल	वि.के.का. श्यालावास	दिनांक 25.12.2020 से 03.10.2021 तक खुला बंदी शिविर से फरारशुदा, फरारी प्रकरण में विचाराधीन तथा दिनांक 04.10.2021 को जेलदण्ड से दण्डित।

142.	पप्पू मदारी उर्फ पप्पू उर्फ सरताज पुत्र बशीर खान उर्फ रामकिशन	के.का. कोटा	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।
143.	मोडिया पुत्र झाला	के.का. उदयपुर	खुला बन्दी शिविर से दिनांक 19.07.2022 से 05.08.2022 तक फरारशुदा एवं फरारी प्रकरण विचाराधीन तथा दिनांक 06.08.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
144.	मनोहर पुत्र विष्णुप्रकाश	के.का. अजमेर	पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
145.	भजन मीणा उर्फ बहादुर सिंह पुत्र हरफूल सिंह	के.का. जयपुर	धारा 302 मे दण्डित रहते हुए कारागृह में निरूद्ध पाकिस्तानी बन्दी की हत्या करने के कारण दिनांक 10.01.2020 को आजीवन कारावास से दण्डित।
146.	गोदाराम उर्फ गोदिया पुत्र मगाराम	के.का. जोधपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर) एवं अन्तरिम जमानत से 02.11.2006 से 02.03.2017 तक फरारशुदा।
147.	कमल पुत्र गोविन्द	के.का. उदयपुर	पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित।
148.	शौकित उर्फ तूफान उर्फ बंजारा पुत्र गुलमा उर्फ बालकनाथ	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
149.	रणजीत पुत्र विजयसिंह	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
150.	रामा पुत्र देवा	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित।

151.	नाहर सिंह पुत्र भोमाराम	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
152.	कमल किशोर पुत्र सुखदेव	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
153.	सलमान उर्फ लगंडा पुत्र भुरा खॉ	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. व पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
154.	देवा उर्फ देवीलाल पुत्र गोपा	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित।
155.	हनुमान प्रसाद पुत्र बुधराम उर्फ उदाराम	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376, 376आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
156.	हकमा पुत्र देवा	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित।
157.	आशाराम उर्फ आशु पुत्र भंवरलाल	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. व पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
158.	हिम्मत सिंह पुत्र मंगल सिंह	के.का. उदयपुर	दिनांक 18.05.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
159.	रमेश कुमार पुत्र मोहनलाल	के.का. जोधपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
160.	वसीम पुत्र कलवा	के.का. जयपुर	खुला बंदी शिविर से दिनांक 15.12.2022 से दिनांक 04. 04.2023 तक फरारशुदा। 03 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (02 प्रकरण में जमानत)
161.	काऊ उर्फ कावा उर्फ रमेश पुत्र वालजी	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
162.	मांगीलाल पुत्र गंगाराम	के.का. जोधपुर	दिनांक 25.04.2014 से 09.08.2022 तक पैरोल से फरारशुदा।

163.	आसाराम उर्फ आसुमल पुत्र थेवरदास उर्फ थाउमल	के.का. जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376आई.पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन काल तक) से दण्डित।
164.	राहुल भारद्वाज पुत्र मुकेश कुमार भारद्वाज	के.का. जयपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
165.	महावीर उर्फ बिट्टू पुत्र बाबूराम	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास(शेष प्राकृत जीवन काल) से दण्डित।
166.	दीनदयाल शर्मा पुत्र लक्ष्मण	के.का. जयपुर	खुला बंदी शिविर में निरूद्ध रहते हेतु दिनांक 12.06.2023 को बांदीकुई में अन्य प्रकरण में एफ.आई.आर दर्ज के कदाचार के कारण दिनांक 04.07.2023 को जेल दाखिल। 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
167.	गोपाल लाल पुत्र मन्ना	के.का. उदयपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
168.	सलीम उर्फ छोटिया पुत्र युसुफ खां	के.का. बीकानेर	03 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
169.	रणजीत पुत्र चौथमल	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. एवं पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल तक) से दण्डित।
170.	कपिल उर्फ अन्ना पुत्र गोविन्द राजा	के.का. कोटा	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
171.	विनोद पुत्र मुरलीधर	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 395 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
172.	चांद उर्फ चांद मिया पुत्र सरताज	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 396 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
173.	प्रताप पुत्र सेणा	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित।

174.	बंटी उर्फ इरफान पुत्र कुर्बान अली	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
175.	प्रभु सिंह पुत्र बहादुर सिंह	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास।
176.	संजयनाथ पुत्र उदयचंद	के.का. बीकानेर	02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
177.	टीपू उर्फ टीपू सुल्तान उर्फ आबिद अली पुत्र अकील मोहम्मद	के.का. कोटा	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
178.	शैतान पुत्र रामपाल	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
179.	गौत्तम हरिजन पुत्र मोहनलाल	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
180.	रामस्वरूप पुत्र मनफूल	के.का.श्रीगंगानगर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक) से दण्डित।
181.	हीरालाल पुत्र भंवर लाल	के.का. अजमेर	पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
182.	मोतीराम पुत्र देवाराम	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. एवं पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास (मृत्यु पर्यन्त) से दण्डित।
183.	संजय सिंह उर्फ शैतान सिंह पुत्र मोती सिंह	के.का. जोधपुर	पैराल से दिनांक 25.07. 2016 से 09.12.2019 तक फरारशुदा।
184.	मनाराम पुत्र नेतीराम	के.का. जोधपुर	02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
185.	कालू उर्फ सलाम पुत्र हुसैन भाई	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।

186.	अयुब पुत्र जमाल खां	वि.के.का. श्यालावास	दिनांक 04.12.2022 को जेल दण्ड।
187.	प्रकाश पुत्र भवूती	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. एवं पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक) से दण्डित।
188.	ओमप्रकाश पुत्र पन्नाराम	के.का. बीकानेर	पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
189.	सुरेश कुमार पुत्र प्रेम कुमार	वि.के.का. श्यालावास	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
190.	प्रहलाद पुत्र राजु मीणा	के.का. उदयपुर	08 अन्य प्रकरण विचाराधीन।
191.	जगदीश सिंह उर्फ टिल्लु पुत्र रूप सिंह	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. एवं पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल)से दण्डित। 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
192.	महेश कुमार पुत्र मंगलचन्द	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास(शेष प्राकृत जीवनकाल) से दण्डित।
193.	गिरधारी पुत्र नेमाराम	के.का. अजमेर	पोक्सो एक्ट, 2012 में 14 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
194.	प्रदीपसिंह पुत्र केवलसिंह	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
195.	रामलाल पुत्र भैंराराम	के.का. बीकानेर	दिनांक 04.06.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
196.	विक्रम पारदी पुत्र करण सिंह	वि.के.का. श्यालावास	विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण, जुर्माना/जुर्माना सजा शेष।

197.	तेजाराम पुत्र हिमाराम	के.का. जोधपुर	दिनांक 13.10.0021 से 24.02.2022 तक पैरार से फरारशुदा एवं फरारी प्रकरण में विचाराधीन।
198.	शोभित जोशी उर्फ संदर्भ पुत्र प्रमोद शर्मा	के.का. जयपुर	02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (जमानत पर)
199.	शिवराज पुत्र माधोलाल	के.का. कोटा	पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
200.	वाकिल उर्फ वकील पुत्र पदमो उर्फ पदमा उर्फ पदमनाथ	जि.का. टोंक	प्रतिबंधित धारा 396 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
201.	दिनेश पुत्र रतनलाल	के.का. जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक) से दण्डित।
202.	रूपसिंह पुत्र लुखुरू	के.का. बीकानेर	खुला बंदी शिविर से दिनांक 03.12.2022 से 26.12.2022 तक फरारशुदा। फरारी प्रकरण में विचाराधीन।
203.	हरिचन्द पुत्र हणमान	के.का. बीकानेर	दिनांक 01.05.2023 को जेल दण्ड से दण्डित।
204.	सुभाष खीचड़ पुत्र महेन्द्र सिंह	के.का. बीकानेर	02 से अधिक 05 प्रकरणों में दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
205.	हाशम पुत्र छोटू	के.का. अजमेर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (जमानत पर)
206.	जोगसिंह पुत्र खंगारसिंह उर्फ छगनसिंह	के.का. जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. एवं पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित।
207.	नन्नूसिंह पुत्र बाबूसिंह	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिये) से दण्डित।
208.	हीरालाल पुत्र दल्ला	के.का. उदयपुर	पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित।

209.	सांवर लाल उर्फ लालू पुत्र गिरधारी लाल	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 397 आई. पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
210.	घनश्याम अग्रवाल पुत्र द्वारका प्रसाद	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. एवं पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
211.	उदयलाल उर्फ उदा पुत्र रामा	के.का. उदयपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।
212.	राम पाण्डेय पुत्र हरिवंश पाण्डेय	वि.के.का. श्यालावास	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
213.	भागसिंह उर्फ भागीरथ पुत्र निहाल सिंह	के.का.श्रीगंगानगर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. एवं पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक) से दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
214.	मुकेश पुत्र रामसिंह	के.का. अजमेर	दिनांक 08.09.2021 को जेल दण्ड से दण्डित।
215.	दिवान पुत्र भुन्डिया	के.का. जयपुर	खुला बंदी शिविर में अन्य बन्दियों के साथ गंभीर मारपीट के कदाचार के कारण दिनांक 28.06.2023 को जेल दाखिल। 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
216.	संतोष कुमार पुत्र नन्दकिशोर	के.का. कोटा	दिनांक 14.03.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
217.	संजय आर्य पुत्र रामकिशन	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. एवं पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
218.	विजय सिंह उर्फ मोनू पुत्र गोपाल सिंह उर्फ किशन सिंह	के.का. कोटा	बन्दी खुला शिविर, कोटा से दिनांक 22.04.2022 से 30.05.2022 तक फरारशुदा।
219.	नरेश उर्फ मोखम सिंह पुत्र रतन लाल	के.का. अजमेर	02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।

220.	दीपक पुत्र भंवरलाल	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास व 460 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
221.	कयूम उर्फ संजय पुत्र सिराज मलिक	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 395, 397 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
222.	प्रदीप पुत्र भंवरलाल वैष्णव	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।
223.	नरेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार	के.का. बीकानेर	02 से अधिक 07 प्रकरणों में दण्डित।
224.	पिन्टू काठात पुत्र श्री भंवरू काठात	के.का. जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. व पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
225.	मोजिन्दर वर्मा पुत्र महादेव वर्मा	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. व पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास (नैसर्गिक जीवन की अवधि तक) से दण्डित।
226.	भंवरराम पुत्र पूर्णराम	के.का.श्रीगंगानगर	पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
227.	लालचंद पुत्र कालूराम	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
228.	गुजरा खैर पुत्र कालिया खैर	के.का. उदयपुर	दिनांक 04.12.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
229.	भीमराज पुत्र राजूराम	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. व पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
230.	कालू उर्फ रवि पुत्र रमेश कोली लालूनाथ उर्फ हीरानाथ	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. व पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक) से दण्डित।

231.	कालूराम पुत्र लच्छा भील	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 460 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित।
232.	ओमप्रकाश पुत्र प्रेमचंद	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
233.	मांगीलाल पुत्र चन्द्रप्रकाश उर्फ चंदरु	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. एवं पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
234.	प्रमोद कुमार पुत्र रघुवीर सिंह	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
235.	सूरजभान पुत्र नवलकिशोर	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. एवं पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) के दण्ड से दण्डित।
236.	राजाराम पुत्र काना	जि.का. टोंक	पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।
237.	अरशद खान पुत्र मोहम्मद युनुस	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल) से दण्डित।
238.	शिपिन बर्मन पुत्र रामचरण	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) में आजीवन कारावास से दण्डित।
239.	जगदीशचन्द पुत्र प्यारचन्द उर्फ प्यारेलाल	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 394 व 460 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
240.	मुकेश पुत्र केसरीलाल	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. एवं पोक्सो एक्ट, 2012 में 10 वर्ष कारावास से दण्डित।
241.	नरपत सिंह पुत्र छोटेलाल	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 377 आई. पी.सी. व पोक्सो एक्ट, 2012 में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

242.	जलील उर्फ जमील पुत्र चांद मीयां	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 395 आई. पी.सी.में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
243.	पप्पु उर्फ पुरखाराम पुत्र सुरता जी	के.का. जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. एवं पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक)से दण्डित।
244.	सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्रीराम सिंह	के.का. बीकानेर	पोक्सो एक्ट, 2012 में 10 वर्ष कठोर कारावास।
245.	मोहम्मद अम्मार यासर पुत्र मोहम्मद फिरोज खान	के.का. जयपुर	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
246.	गंगाराम पुत्र गुल्या	वि.के.का. श्यालावास	पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित।
247.	ईश्वरसिंह पुत्र थानसिंह	के.का. जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. एवं पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित।
248.	कुलदीप सिंह पुत्र देवीसिंह	के.का. जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 460 आई. पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
249.	वकार अजहर पुत्र मोहम्मद तसलीम	के.का. जयपुर	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में दण्डित।
250.	मोहम्मद मारूक पुत्र मोहम्मद फारूख	के.का. जयपुर	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।

251.	पवन कुमार पुत्र मनफूलाराम	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी. सी. व पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन) से दण्डित।
252.	सुरेश माली पुत्र फूलचंद	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. एवं पोक्सो एक्ट, 2012 में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
253.	प्रकाश पुत्र खातु	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
254.	मोहम्मद आसिफ उर्फ दाउद पुत्र मोहम्मद इलियास	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 395 में आजीवन कारावास से दण्डित।
255.	रज्जो पुत्र रामकिशन	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक) से दण्डित।
256.	धर्माराम पुत्र जीवणराम	के.का. बीकानेर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
257.	सतपाल सिंह पुत्र दलीप सिंह	के.का. बीकानेर	पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
258.	विक्रम पुत्र चैन सिंह	जि.का. टोंक	प्रतिबंधित धारा 395, 396,460 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
259.	चौथमल पुत्र बालुलाल	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. व पोक्सो एक्ट, 2012 में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
260.	नटवर लाल पुत्र गोतम	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास(शेष प्राकृत जीवनकाल तक) से दण्डित।

261.	राधेश्याम उर्फ राजु पुत्र उंकार लाल	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394 व 460 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
262.	सुरेन्द्र सिंह उर्फ भुरा पुत्र बलजीत सिंह	वि.के.का. श्यालावास	खुला बन्दी शिविर में महिला बन्दी के साथ बदतमीजी करने के कदाचार के कारण दिनांक 17.06.2022 को पुनः जेल दाखिल।
263.	प्रदीप जाट पुत्र प्रीतम सिंह	वि.के.का. श्यालावास	दिनांक 06.05.2022 को जेलदण्ड से दण्डित।
264.	रमेश कुमार पुत्र श्री पेमाराम	के.का. बीकानेर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन एवं दिनांक 07.05.2023 को जेल दण्ड से दण्डित।
265.	आशीष परासर पुत्र रामबाबू	के.का. जयपुर	खुला बंदी शिविर से दिनांक 06.01.2023 से 26.06. 2023 तक फरारशुदा।
266.	कुन्दनसिंह पुत्र हडवंतसिंह	के.का. जोधपुर	खुला बन्दी शिविर में हाजिरी में अनुपस्थित व शराब का सेवन करके शोर-शराबा करने के कदाचार के कारण दिनांक 02.02.2023 को पुनः जेल दाखिल।
267.	पप्पु उर्फ नन्दलाल पुत्र शंकरलाल	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
268.	मोहम्मद साकिब अन्सारी पुत्र मोहम्मद असलम अन्सारी	के.का. जयपुर	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में दण्डित।
269.	थावर लाल पुत्र नगजी	के.का. उदयपुर	दिनांक 04.12.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
270.	प्रभुलाल मीणा पुत्र भाना मीणा	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 460 आई. पी.सी. में 10 वर्ष साधारण कारावास से दण्डित।
271.	दुल्हा पुत्र किशनाराम	जि.का. टोंक	प्रतिबंधित धारा 395, 396, 460 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।

272.	शहजाद उर्फ साजिद पुत्र सलीम	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास (नैसर्गिक जीवन तक) से दण्डित।
273.	रणजीत उर्फ रेणिया पुत्र बद्रीलाल मीणा	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास (नैसर्गिक जीवन) से दण्डित।
274.	महेश कुमार शर्मा पुत्र गोपाल लाल	वि.के.का. श्यालावास	पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
275.	नेमीचन्द पुत्र रामजीलाल	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
276.	धन्ना उर्फ धनराज पुत्र हरजी	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 392 आई. पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
277.	भवानी सिंह पुत्र घेवर सिंह	के.का. जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक) से दण्डित।
278.	डालूराम पुत्र ताराराम	के.का. जोधपुर	पैरोल से दिनांक 02.03.2021 से 24.06.2021 तक फरारशुदा।
279.	मुकेश गोस्वामी पुत्र लक्ष्मण सिंह	उ.सु.का. अजमेर	दिनांक 30.12.2019 से 1. 01.2020 तक पैरोल से फरारशुदा एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
280.	बरकत अली पुत्र लियाकत अली	के.का. जयपुर	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में दण्डित।
281.	जितेन्द्र कुमार पुत्र मांगीलाल	जि.का. टोंक	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल) से दण्डित।
282.	चैनाराम पुत्र भंवर लाल गुर्जर	के.का. बीकानेर	02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन। (जमानत पर)

283.	अशरफ अली खान पुत्र साबिर खान	के.का. जयपुर	विध्वंसकारी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण।
284.	कालिया पुत्र मेना	के.का. उदयपुर	मानसिक रोगी होने के कारण।
285.	हाजा पुत्र लेम्बा	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास।
286.	अनूप पाडिया पुत्र श्रवण लाल पाडिया उर्फ केदार पाडिया	उ.सु.का. अजमेर	02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
287.	पिन्टू कुमार पुत्र भंवरलाल	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 377 आई. पी.सी. में 10 वर्ष कठोर आजीवन कारावास ।
288.	देवाराम उर्फ देवराज पुत्र गोपाराम	के.का. अजमेर	दिनांक 23.10.2021 से 13.01.2022 तक पैरोल से फरारशुदा एवं 01 अन्य प्रकरण में विचारधीन तथा दिनांक 28.03.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
289.	जोनसन चाको पुत्र चाको बी.ए.	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक)
290.	थावर चन्द पुत्र जीवा भगोरा	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास।
291.	रामचरण पुत्र बद्रीलाल	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. व पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक)
292.	राकेश पुत्र रामसिंह	के.का. जयपुर	दिनांक 12.05.2022 से 17.05.2022 तक बन्दी खुला शिविर से फरारशुदा। फरारी प्रकरण में 02 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
293.	गोविन्द पुत्र गटू मोणिया	के.का. उदयपुर	मानसिक रोगी होने के कारण।

K 4-

294.	रमनदीप सिंह उर्फ रमणा उर्फ बेपरवाह पुत्र कश्मीर सिंह	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 460 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास।
295.	शिवनाथ पुत्र गुलाबनाथ	के.का. जोधपुर	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास।
296.	हरदेवा उर्फ महेन्द्र उर्फ सुरेश पुत्र मांगूराम	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास।
297.	गफ्फार पुत्र अयूब खां	के.का. जोधपुर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।
298.	कन्हैया लाल उर्फ कन्नु पुत्र बाबूलाल	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास।
299.	सुखवीन्द्र सिंह उर्फ घोना पुत्र गुरमीत सिंह	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 460 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास।
300.	जगदीश उर्फ गब्बा पुत्र प्यारे लाल	के.का. कोटा	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।
301.	दुर्गालाल पुत्र रघुनाथ	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 377 आई. पी.सी. व पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
302.	छगनलाल पुत्र सुजाराम	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक)
303.	चुन्नीलाल पुत्र शंकरलाल	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
304.	दीपक पटेल पुत्र शम्भू पटेल	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. व पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास।
305.	ताराचन्द पुत्र किशन	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास।
306.	राजू उर्फ चुटटल पुत्र पप्पूलाल	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास। (शेष प्राकृत जीवनकाल तक)

307.	प्रकाश पुत्र मोहनजी	के.का. जोधपुर	दिनांक 22.07.2018 से 09.05.2019 तक एवं दिनांक 13.08.2021 से 25.06.2022 तक पैरोल से फरारशुदा। फरारी प्रकरण में विचाराधीन।
308.	जयसिंह पुत्र कल्लू	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास।
309.	सवजी पुत्र माला	के.का. उदयपुर	मानसिक रोगी होने के कारण।
310.	सुवा पुत्र रामकरण	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास।
311.	करण सिंह पुत्र विजय सिंह	के.का. जोधपुर	05 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (01 में जमानत)।
312.	सोनू पुत्र अमरनाथ	जि.का. टोंक	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास।
313.	वेदप्रकाश पुत्र शिवचरण	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
314.	श्यामलाल पुत्र शंकरलाल	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 394 आई. पी.सी. में 10 वर्ष साधारण कारावास।
315.	मदनलाल पुत्र दौलत राम	के.का.श्रीगंगानगर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास।
316.	सवाई सिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह	के.का. जोधपुर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।
317.	विजय कुमार पुत्र प्रभुदयाल	के.का. बीकानेर	दिनांक 19.04.2022 से 22.05.2022 तक बन्दी खुला शिविर से फरारशुदा। फरारी प्रकरण विचाराधीन (जमानत पर)
318.	रमेश पुत्र हीरालाल	के.का. बीकानेर	दिनांक 01.05.2023 से 19.05.2023 तक बन्दी खुला शिविर से फरारशुदा। फरारी प्रकरण विचाराधीन।

319.	पवन कुमार पुत्र संतोष कुमार	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
320.	रतन सिंह पुत्र भोपाल सिंह	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 394 आई. पी.सी. में 10 वर्ष साधारण कारावास।
321.	हनुमान पुत्र नन्दाराम	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास।
322.	जीवाराम पुत्र बंशीधर	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 में 20 वर्ष कठोर कारावास।
323.	नारायण सिंह उर्फ नरेन्द्र सिंह पुत्र सोहनसिंह	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
324.	सुरेश कोली उर्फ कृष्णा राठौर पुत्र चिरंजीलाल	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास।
325.	जगमाल पुत्र अमरा	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. व पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
326.	बद्रीलाल पुत्र बाबूलाल	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास।
327.	शंकर पुत्र नाथू	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में 14 वर्ष कठोर कारावास।
328.	बंटी उर्फ गिर्राज पुत्र शांतिलाल	वि.के.का. श्यालावास	05 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
329.	जाकिर हुसैन पुत्र मोहम्मद सत्तार	के.का. उदयपुर	दिनांक 08.05.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
330.	भैरूसिंह पुत्र गैरसिंह	के.का. उदयपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
331.	लक्ष्मण पुत्र रामलाल उर्फ लटूर	जि.का. टोंक	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास।
332.	महेन्द्र पुत्र कप्पी हरिजन	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास।
333.	निकुंज पुत्र योगश	के.का. उदयपुर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।

334.	महेन्द्र सिंह पुत्र अखेसिंह	जि.का. टोंक	प्रतिबंधित धारा 6 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास।
335.	विजय कुमार पुत्र भगवानदास	के.का. श्रीगंगानगर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. 10 वर्ष कठोर कारावास।
336.	जोसी उर्फ जगदीश पुत्र चौपाराम	के.का. जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 460 आई. पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास।
337.	इकबाल हुसैन पुत्र जाकिर हुसैन	के.का. उदयपुर	दिनांक 18.05.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
338.	राजू पुत्र जगदीश	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. व पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
339.	जावेद अली पुत्र हुसैन अली	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. व पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
340.	जयपाल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. व पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (जो 35 वर्ष से कम नहीं होगी)।
341.	मग्गा उर्फ मगनलाल पुत्र होमा	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394 आई. पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास।
342.	हर्ष कुमावत पुत्र गोपाल कुमावत	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. व पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
343.	इन्द्राज पुत्र बाबूलाल	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. व पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास।
344.	राजेन्द्र पुत्र डालूचन्द	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी.में आजीवन (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) कारावास।
345.	फारूख पठान पुत्र ईस्माइल	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 394 आई. पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास।

346.	सलमान उर्फ ईलु पुत्र अब्दुल गफ्फार	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी.में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) ।
347.	दिनेश कुमार पुत्र रामेश्वर	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक)।
348.	पूरणमल पुत्र अशोक कुमार	वि.के.का. श्यालावास	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
349.	चेनाराम पुत्र कानाराम	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
350.	तारकेश्वर तिवारी उर्फ उत्तम तिवारी	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. व पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक)।
351.	गणपतलाल पुत्र सुखराम उर्फ सुखलाल	के.का. जोधपुर	दिनांक 28.10.2022 से 29.10.2022 तक बन्दी खुला शिविर से फरारशुदा एवं फरारी प्रकरण विचाराधीन।
352.	गौरव धोबी पुत्र शंभूलाल धोबी	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. व पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास।
353.	बीरबल उर्फ जगदीश उर्फ जाखड पुत्र रतन	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376आई.पी. सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक)।
354.	अनिल पुत्र अम्बालाल	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
355.	छजिया उर्फ छगन पुत्र भागु	के.का. उदयपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।
356.	लक्ष्मण उर्फ लसु पुत्र शंकरलाल	वि.के.का. श्यालावास	दिनांक 21.09.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
357.	विष्णु पुत्र धर्मा	के.का. उदयपुर	पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित।
358.	मोनू उर्फ जाहिद हुसैन पुत्र जाकिर हुसैन	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास।

359.	रमेश चन्द पुत्र शानूराम	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी.में 20 वर्ष कठोर कारावास।
360.	मेगु पासवान पुत्र बद्रीप्रसाद	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी.में आजीवन (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) कारावास।
361.	तेजाराम पुत्र रेखाराम	के.का. जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास।
362.	मोहन बामने उर्फ सलीम पुत्र गणेश बामने	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी.में आजीवन (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) कारावास।
363.	अब्दुल हफीज पुत्र अब्दुल रहमान	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास।
364.	बाबूलाल पुत्र चतरा	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी.व पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
365.	राहुल उर्फ बृजेश उर्फ विजय पुत्र बिरधीलाल	के.का. कोटा	02 से अधिक 05 प्रकरणों में दण्डित।
366.	अजीत सिंह पुत्र रामकिशन	उ.सु.का. अजमेर	02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित।
367.	मंगलाराम उर्फ मांगीलाल पुत्र खेताराम	के.का. जोधपुर	दिनांक 22.07.2020 से 04.09.2021 तक पैरोल से फरारशुदा।
368.	कैलाश पुत्र गोविन्दराम	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास।
369.	अशोक उर्फ ठाकरिया पुत्र रतनलाल	उ.सु.का. अजमेर	02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
370.	लक्ष्मण पुत्र मूल्या	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में 14 वर्ष कठोर कारावास।
371.	रफीक उर्फ बकरी चोर पुत्र हाफिज खान	के.का. जयपुर	02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (01 मे जमानत पर)।
372.	इमरान खान पुत्र शेरखान	के.का. जोधपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।

373.	रामकुमार पुत्र गोविन्दराम	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास।
374.	हरिराम पुत्र बालूराम	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
375.	जीवा पुत्र नाना	के.का. उदयपुर	01 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
376.	विजय मेहरा पुत्र श्यामलाल	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. व पोक्सो एक्ट में आजीवन (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) कारावास।
377.	भैरू पुत्र रामकिशन	के.क. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) कारावास।
378.	सांवरा उर्फ सांवरिया पुत्र रामभरोसी	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
379.	मानसिंह उर्फ पिकडा पुत्र जगन्नाथ	के.का. उदयपुर	01 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
380.	पन्नाराम उर्फ रमेश पुत्र थावराराम	के.का. जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी में 10 वर्ष कठोर कारावास।
381.	विनोद कुमार पुत्र बालकिशन	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
382.	सुरज जाटव पुत्र रमेश	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) कारावास।
383.	कालूसिंह पुत्र कैलाश सिंह	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. व पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
384.	राहुल पुत्र लालाराम	वि.के.का. श्यालावास	06 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
385.	विकास कुमार पासवान पुत्र बाबूलाल पासवान	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।

386.	संजयसिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह पुत्र खीमसिंह	जि.का. टोक	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. व पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
387.	रायचन्द पुत्र कमजी	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी में आजीवन कारावास।
388.	कैलाश पुत्र बसु उर्फ बक्सी	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास।
389.	राकेश उर्फ रिन्कू पुत्र रंगलाल	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास।
390.	हेमन्त उर्फ आशु पुत्र मनोहर लाल	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी.व पोक्सो एक्ट में आजीवन (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) कारावास।
391.	सेठूसिंह पुत्र लाला	के.का. अजमेर	बन्दी खुला शिविर में पत्नि व बेटी से झगडा करने के कदाचार का दोषी पाये जाने के कारण दिनांक 25.11. 2022 को जेल दाखिल।
392.	रामपाल पुत्र लादूराम	के.का. जोधपुर	मानसिक रोगी होने के कारण।
393.	शिवजी उर्फ श्योजी पुत्र किशनलाल	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
394.	कौशल किशोर पुत्र महावीर प्रसाद	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी में 10 वर्ष कठोर कारावास।
395.	राजू पुत्र मोहन	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 460 आई. पी.सी में 10 वर्ष कठोर कारावास।
396.	सलीम पुत्र अब्दुल वहीद	के.का. अजमेर	02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
397.	विशाल पुत्र दलीप	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
398.	रामचन्द्र पुत्र धन्ना	के.का. उदयपुर	दिनांक 04.12.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।

399.	ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल	के.का. उदयपुर	दिनांक 04.12.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
400.	भरत पुत्र मोतीलाल	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी.में आजीवन (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) कारावास।
401.	लोकेश मीणा पुत्र रामस्वरूप मीणा	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी.में आजीवन (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) कारावास।
402.	सुरेश कुमार पुत्र छगनलाल	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 460 आई. पी.सी में 10 वर्ष कठोर कारावास।
403.	किशन सिंह पुत्र सज्जनसिंह	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
404.	धनसिंह उर्फ सोनू पुत्र शिवसिंह	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. व में आजीवन (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) कारावास।
405.	तुलसीराम मीणा पुत्र नारायण मीणा	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 460 आई. पी.सी में 10 वर्ष साधारण कारावास।
406.	बाबूलाल उर्फ भागूराम पुत्र शिम्भूराम	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. व पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास।
407.	गौतम पुत्र अर्जून रेबारी	के.का. अजमेर	दिनांक 19.05.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
408.	वेदराम पुत्र ठाकुरदास	के.का.श्रीगंगानगर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी में 14 वर्ष कठोर कारावास।
409.	लालाराम उर्फ लालचन्द पुत्र भूरा भील	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी में 10 वर्ष कठोर कारावास।
410.	सुरेश कुमार उर्फ गिटू पुत्र नारायण राम	के.का. बीकानेर	दिनांक 04.09.2021 से 28.09.2021 तक पैरोल से फरारशुदा व दिनांक 29. 09.2021 को जेल दण्ड से दण्डित।

411.	नन्दू उर्फ नन्द किशोर पुत्र देवीलाल	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376आई.पी.सी. व पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास।
412.	शांतिलाल पुत्र बगदीराम	के.का. जोधपुर	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
413.	कैलाश उर्फ पिन्टू पुत्र रामलाल	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
414.	सिद्धान्त उर्फ जोशी उर्फ गौरव पुत्र दिनेश	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी में आजीवन कठोर कारावास।
415.	राजपाल पुत्र सरदाराराम	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी एवं पोक्सो एक्ट में आजीवन कठोर कारावास।
416.	लक्ष्मण पुत्र धुला	के.का. उदयपुर	दिनांक 04.12.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
417.	पवन कुमार पुत्र कन्हैयालाल धाकड	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी एवं पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
418.	करतार सिंह पुत्र शम्भुदयाल	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी में 20 वर्ष कठोर कारावास एवं पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास।
419.	कन्हैयालाल उर्फ करण पुत्र श्री कालूराम	के.का. जोधपुर	दिनांक 01.04.2023 को जेल दण्ड से दण्डित।
420.	दरबार पुत्र टकरार	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 397, 460 आई.पी.सी में 10 वर्ष कठोर कारावास
421.	मुलानाथ उर्फ मूलनाथ पुत्र मोहननाथ	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी में आजीवन कठोर कारावास
422.	विजय कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाट	के.का.श्रीगंगानगर	प्रतिबंधित धारा 376 डी आई.पी.सी में 20 वर्ष कठोर कारावास।
423.	संदीप शर्मा पुत्र राजेश शर्मा	वि.का.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी में 10 वर्ष कठोर कारावास।

424.	भैरू उर्फ भैरू भील पुत्र धन्ना	के.का. उदयपुर	पैरोल से दिनांक 05.09.2021 से 25.11.2021 तक फरारशुदा।
425.	अफसार अहमद उर्फ आसिफ उर्फ अंगा पुत्र ईसरार अहमद उर्फ मुल्लाजी	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी में आजीवन कारावास।
426.	प्रवीण पुत्र हुका	के.का. उदयपुर	दिनांक 04.12.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
427.	नीमा छिरींग तामांग उर्फ साजन पुत्र किशोर तामांग	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376आई.पी.सी में 10 वर्ष कठोर कारावास।
428.	रामकृष्णा उर्फ अन्ना पुत्र रामगढु उर्फ रेड्डी	के.का. जयपुर	उद्योगशाला में अनुपस्थित रहने के कारण।
429.	मो. सलीम पुत्र श्री निसार अहमद	के.का. जोधपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
430.	विकास कुमार पुत्र चन्द्रभान	के.का. बीकानेर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
431.	प्रवीण पुत्र महेन्द्र	के.का. बीकानेर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (जमानत पर)
432.	गौरव जेठी पुत्र सीताराम	के.का. कोटा	धारा 302 में आजीवन कारावास (मृत्यु पर्यन्त)।
433.	हरदीन पुत्र कल्ला	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376आई.पी.सी में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक)।
434..	आदिल पुत्र आलम चौधरी	के.का. कोटा	02 से अधिक 03 प्रकरण में दण्डित।
435.	चांदमल उर्फ चांदू पुत्र बाजीराव	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376आई.पी.सी एवं पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
436.	अजय हरिजन उर्फ बहादुर पुत्र सम्पतलाल	वि.के.का. श्यालावास	02 अन्य प्रकरण में विचाराधनी।

437.	कमलेश उर्फ कमल पुत्र गिर्राजप्रसाद	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376आई.पी.सी एवं पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास। (शेष प्राकृत जीवनकाल तक)
438.	कानजी पुत्र हवजी	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
439.	भोजराज पुत्र रतनलाल	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376आइ.पी.सी एवं पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
440.	दुर्गा बैरवा पुत्र नाथुलाल	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास।
441.	राकेश पुत्र सादीलाल	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376आइ.पी.सी एवं पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
442.	अभिषेक पुत्र उदयारायण	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 377 आई.पी.सी एवं पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
443.	अर्जुन शर्मा पुत्र सोमदत्त	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 395 आई.पी.सी में आजीवन कारावास।
444.	नरेन्द्र सिंह उर्फ नंदू पुत्र रतन सिंह	उ.सु.का. अजमेर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
445.	सुखवन्त सिंह उर्फ गगन पुत्र मलकीत सिंह	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 395 आई.पी.सी में आजीवन कारावास।
446.	सोमनाथ सिंह पुत्र गुरूमुख सिंह	वि. के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास।
447.	बाबुलाल उर्फ बाबुडिया पुत्र शंकरलाल उर्फ शंकरिया	के.का. उदयपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
448.	दिनेश पुत्र श्री प्रभुलाल	के.का. जोधपुर	02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
449.	करण सिंह पुत्र चंदालाल	के.का. अजमेर	02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
450.	राजू पंजाबी उर्फ सुरेन्द्र पुत्र प्रभूदयाल	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आइ.पी.सी में आजीवन कारावास। (शेष प्राकृत जीवनकाल तक)

451.	खुशवन्त उर्फ कुशवन्त पुत्र श्री छोटूराम	के.का. जोधपुर	03 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
452.	विक्की पुत्र साधुसिंह	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 395आई.पी.सी में आजीवन कारावास।
453.	रामवतार उर्फ अवतार सिंह पुत्र मिश्रीलाल	जि.का. टोंक	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी में 10 वर्ष कठोर कारावास।
454.	श्यामलाल पुत्र हवजी	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394,460 आई.पी.सी में आजीवन कारावास।
455.	फिरोज खा पुत्र श्री शौकत खॉ	के.का. जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी एवं पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
456.	रूपाराम पुत्र भींवाराम	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी में 10 वर्ष कठोर कारावास।
457.	राज पुत्र ज्वार बंजारा	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376आई.पी.सी में 10 वर्ष कठोर कारावास।
458.	राधेश्याम पुत्र प्रभुलाल जाति लोधा	के.का. कोटा	प्रतिबंधित धारा 376आई.पी.सी में 10 वर्ष कठोर कारावास।
459.	अजय उर्फ भगत पुत्र मूलचंद उर्फ मोतीचंद	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास।
460.	देवीसिंह पुत्र चतरसिंह	जि.का. टोंक	प्रतिबंधित धारा 376आई.पी.सी एवं पोक्सो एक्ट में में 14 वर्ष कठोर कारावास।
461.	दीपक शर्मा उर्फ पटेल पुत्र ओमप्रकाश	के.का. बीकानेर	दिनांक 21.07.2020 से 23.04.2021 तक पैरोल से फरारशुदा।
462.	रवि पुत्र श्यामलाल	के.का. बीकानेर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
463.	धुड़ाराम पुत्र पतराम	के.का. बीकानेर	02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (01 में जमानत पर)
464.	हरदीप सिंह पुत्र लिच्मण राम	के.का.श्रीगंगानगर	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास।

465.	लियाकत उर्फ मुन्ना उर्फ मामु पुत्र अब्दुल खां	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास।
466.	दुलीचन्द उर्फ दुलीराम पुत्र भोमाराम	के.का.श्रीगंगानगर	प्रतिबंधित धारा 376आई.पी.सी में आजीवन कारावास।
467.	बलकर्ण पुत्र मेंहगा सिंह	वि.के.का. श्यालावास	दिनांक 18.05.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
468.	धनपाल कटारा पुत्र तेजपाल	के.का. उदयपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
469.	रणजीत सैनी पुत्र ग्यारसीलाल	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी एवं में आजीवन कारावास।
470.	हेमराज पुत्र गोवर्धन	जि.का.टोंक	खुला बंदी शिविर से दिनांक 01.01.2023 से 19.05.2023 तक फरारशुदा। फरारी प्रकरण विचाराधीन।
471.	विकास कुमार पुत्र गिरधारी लाल	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी में 10 वर्ष कठोर कारावास।
472.	शैलेश उर्फ साईलेश पुत्र वारजी	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी एवं पोक्सो एक्ट में 14 वर्ष कठोर कारावास।
473.	दीतेन्द्र उर्फ भुरा पुत्र मानसिंह	वि.के.का. श्यालावास	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन

3. **अग्रेषित प्रकरण :-**

निम्नांकित प्रकरणों में बंदियों के नाम के सामने अंकित टिप्पणी/रिपोर्ट प्राप्त की जाकर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखें जावें।

क्र. सं.	बन्दी	वर्तमान कारागृह	अग्रेषित किये जाने का कारण
1.	सूर्यप्रकाश राव मदल्ला पुत्र चिन्नमनायडू मदल्ला	जि.का. टोंक	गत 01 वर्ष में बंदी को आवंटित कार्य तथा किये गये कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट।

2.	जगसीर पुत्र सुखदेव	वि.के.का. श्यालावास	गत 01 वर्ष में बंदी को आवंटित कार्य तथा किये गये कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट।
3.	रमनदीप पुत्र अवतार सिंह	वि.के.का. श्यालावास	गत 01 वर्ष में बंदी को आवंटित कार्य तथा किये गये कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट।
4.	मुकेश भारद्वाज पुत्र नन्नूराम	के.का. जयपुर	गत 01 वर्ष में बंदी को आवंटित कार्य तथा किये गये कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट।
5.	प्रेम कुमार पुत्र जीतसिंह	वि.के.का. श्यालावास	गत 01 वर्ष में बंदी को आवंटित कार्य तथा किये गये कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट।

सदस्य उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।	**सदस्य** महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।	**सदस्य** संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	**सदस्य** महानिरीक्षक पुलिस कारागार राजस्थान जयपुर। (R.)	**अध्यक्ष** महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 31.07.2023 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक **दिनांक 31.07.2023 को** महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री यू.एल.छानवाल, महानिरीक्षक पुलिस कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री अवधेश मीणा, संयुक्त शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य सचिव
4. श्री दिलबाग सिंह , उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर। — सदस्य

माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में निम्न 09 बंदियों के खुला बंदी शिविर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये :-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
मेम्बर पुत्र जयसिंह	के.का.जोधपुर	697/2023	10.07.2023	15.07.2023
राजू उर्फ खोती पुत्र मामचन्द	के.का. श्रीगंगानगर	691/2023	24.05.2023	01.06.2023
सांवरा पुत्र शंकर	के.का.अलवर	571/2022	15.05.2023	24.05.2023
धनीराम पुत्र थावरसिंह	के.का.अलवर	1543/2023	18.07.2023	24.07.2023
मांगीलाल पुत्र हमेरजी	के.का.उदयपुर	515/2023	11.05.2023	26.05.2023
राजुराम उर्फ राजेन्द्र पुत्र भंवरलाल	के.का. जोधपुर	918/2023	05.07.2023	27.07.2023

बुद्धाराम पुत्र ईमरता राम	के.का.बीकानेर	1137/2023	26.07.2023	27.07.2023
सद्दाम पुत्र घीसू खां	के.का.अजमेर	1135/2023	26.07.2023	27.07.2023
हनीफ खां पुत्र गारू खां	के.का.बीकानेर	69/2023	10.05.2023	17.05.2023

स्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. मेम्बर सिंह पुत्र जयसिंह, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 08 वर्ष 04 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी अन्तर्गत धारा 302, 380 आई.पी.सी. में निरूद्ध है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 10.07.2023 को निर्णय पारित कर बंदी के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निर्देशित किया है।

अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर ने बंदी का आचरण संतोषप्रद बताया है व बंदी को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना की है।

अत: उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **मेम्बर सिंह पुत्र जयसिंह** को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

2. राजू उर्फ खोती पुत्र मामचन्द, के.का. श्रीगंगानगर

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 09 वर्ष 11 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी अन्तर्गत धारा 302/34 आई.पी.सी. में निरूद्ध है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 24.05.2023 को निर्णय पारित कर बंदी के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर दिनांक 30.06.2023 की स्थिती में तैयार सूची अनुसार निर्णय करने हेतु निर्देशित किया है।

अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर ने बंदी का आचरण संतोषप्रद बताया है व बंदी को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना की है।

अत: उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **राजू उर्फ खोती पुत्र मामचन्द** को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

3. बुद्धाराम पुत्र ईमरता राम, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 09 वर्ष 04 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी अन्तर्गत धारा 341, 148, 302/149 आई.पी.सी. में निरूद्ध है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 26.07.2023 को निर्णय पारित कर बंदी के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर 06 सप्ताह में निर्णय करने हेतु निर्देशित किया है।

अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर ने बंदी का आचरण संतोषप्रद बताया है व बंदी को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना की है।

अत: उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **बुद्धाराम पुत्र ईमरता राम** को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

4. हनीफ खां पुत्र गारू खां, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 15 वर्ष 07 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी अन्तर्गत धारा 302/34, 376(2)(जी), 201 आई.पी.सी. एवं 11(2)(ख) कारागार अधिनियम 1960 में निरूद्ध है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 10.05.2023 को निर्णय पारित कर बंदी के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निर्देशित किया है।

अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर ने बंदी का आचरण संतोषप्रद बताया है। बंदी के द्वारा प्रतिबंधित धारा 376(2)(जी) की सजा(10 वर्ष कठोर कारावास) पूर्ण कर ली गई है।

अत: उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **हनीफ खां पुत्र गारू खां** को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

1. सांवरा पुत्र शंकर, के.का. अजमेर

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 11 वर्ष 05 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को पूर्व में नियमानुसार खुला बंदी शिविर में भिजवाया गया था किन्तु बंदी, **खुला बंदी शिविर नियमों का उल्लघंन करते हुए दिनांक 17.02.2021 को फरार हो गया एवं पुलिस द्वारा बंदी को गिरफ्तार कर दिनांक 13.07.2021 को पुन: जेल दाखिल कराया गया। बंदी खुला शिविर, कारागृहो में निरूद्ध अच्छे आचरण वाले बंदियों को समाज में पुनर्स्थापित**

होने की प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा अच्छे आचरण एवं व्यवहार वाले बंदियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। जिससे बाकी अन्य बंदियों को भी अच्छा आचरण एवं व्यवहार बनाने हेतु प्रेरणा मिलती है।

बंदी का लम्बे समय तक फरार रहना/हो जाना उसकी अनुशासन की कमी एवं नियमों की जानबूझकर अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अतः उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **सांवरा पुत्र शंकर** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

2. धनीराम पुत्र थावरसिंह, के.का. अलवर

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 06 वर्ष 11 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी अन्तर्गत धारा 302 आई.पी.सी. एवं 3/25 आर्म्स एक्ट में निरूद्ध है।

वर्तमान में खुला बन्दी शिविर समिति के प्रकरणों पर दिनांक 30.06.2023 तक 07 वर्ष 07 माह 19 दिवस तक की सजा भुगतने वाले बन्दियों को खुला बन्दी शिविर में भिजवाये जाने हेतु विचार किया जा रहा है। बन्दी, खुला बन्दी शिविर हेतु पात्र है, किन्तु बन्दी सजा उपभोग की वरिष्ठता में अन्य बन्दियों से कनिष्ठ है। जब भी बन्दी वरिष्ठतानुसार खुला बन्दी शिविर में भेजने हेतु योग्य होगा, तब बन्दी के प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **धनीराम पुत्र थावरसिंह** को वरिष्ठतानुसार योग्य होने पर खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने हेतु विचार करने का निर्णय लिया गया।

3. मांगीलाल पुत्र हमेरजी, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 14 वर्ष 03 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी अन्तर्गत धारा 302/34, 341 आई.पी.सी. में निरूद्ध है।

बंदी दिनांक 23.08.2022 से 25.08.2022 तक खुला बंदी शिविर से फरार रहा है एवं उक्त फरारी के कारण बंदी को दिनांक 01.09.2022 को 04 दिवस परिहार जब्त किये जाने के जेल दण्ड से दण्डित किया है। **बंदी खुला शिविर, कारागृहो में निरूद्ध अच्छे आचरण वाले बंदियों को समाज में पुनर्स्थापित होने की प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा अच्छे आचरण एवं व्यवहार वाले बंदियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास है, जिससे बाकी अन्य बंदियों को भी अच्छा आचरण एवं व्यवहार बनाने हेतु प्रेरणा मिलती है।**

बंदी का फरार रहना/हो जाना उसकी अनुशासन की कमी एवं नियमों की जानबूझकर अवहेलना की श्रेणी में आता है।

साथ ही बंदी निम्न 01 प्रकरण में विचाराधीन है:-

1. सी.जे.एम. उदयपुर के प्रकरण संख्या 327/2022 धारा 58ख कारागार अधिनियम (फरारी प्रकरण)

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 की उद्देशिका में अंकित है कि-चूंकि राजस्थान के सिद्धदोषों में अच्छे आचरण, कार्य के संतोषजनक निष्पादन, एवं स्व-अनुशासन जीवन को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से ***खुली हवा शिविरों में सिद्धदोषों को भेजने*** *के लिए नियम बनाना, तथा इन सिद्धदोषों को पूर्व-रिहाई प्रदाय करने के लिये, सामाजिक समायोजन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता सिखाने के अवसर प्रदान करने के लिये, नियम बनाये जाना आवश्यक है।*

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत **केवल दण्डित बंदियों को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का प्रावधान है** जबकि बंदी अन्य 01 प्रकरण में विचाराधीन है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **मांगीलाल पुत्र हमेरजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

4. राजुराम उर्फ राजेन्द्र पुत्र भंवरलाल, के.का. जोधपुर

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 08 वर्ष 02 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी अन्तर्गत धारा 302, 201 आई.पी.सी. में निरूद्ध है।

बंदी निम्न 01 प्रकरण में विचाराधीन(जमानत पर) है:-

1. ए.सी.एमएम., संख्या-01, जोधपुर के प्रकरण संख्या 109/2017 अन्तर्गत धारा 42 कारागार संशोधन अधिनियम।(बंदी के पास तलाशी में मोबाईल मिलना)

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 की उद्देशिका में अंकित है कि-चूंकि राजस्थान के सिद्धदोषों में अच्छे आचरण, कार्य के संतोषजनक निष्पादन, एवं स्व-अनुशासन जीवन को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से ***खुली हवा शिविरों में सिद्धदोषों को भेजने*** *के लिए नियम बनाना, तथा इन सिद्धदोषों को पूर्व-रिहाई प्रदाय करने के लिये, सामाजिक समायोजन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता सिखाने के अवसर प्रदान करने के लिये, नियम बनाये जाना आवश्यक है।*

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत **केवल दण्डित बंदियों को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का प्रावधान है** जबकि बंदी अन्य 01 प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर) है।

अतः उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **राजुराम उर्फ राजेन्द्र पुत्र भंवरलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

5. सद्दाम पुत्र घीसू, के.का. अजमेर

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 08 वर्ष 11 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी अन्तर्गत धारा 302, 201 आई.पी.सी. में निरूद्ध है।

बंदी दिनांक 05.04.2019 से 29.06.2020 तक प्रथम नियमित पैरोल से फरार रहा है। **बंदी खुला शिविर, कारागृहो में निरूद्ध अच्छे आचरण वाले बंदियों को समाज में पुनर्स्थापित होने की प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा अच्छे आचरण एवं व्यवहार वाले बंदियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास है, जिससे बाकी अन्य बंदियों को भी अच्छा आचरण एवं व्यवहार बनाने हेतु प्रेरणा मिलती है।**

बंदी का लम्बे समय तक फरार रहना/हो जाना उसकी अनुशासन की कमी एवं नियमों की जानबूझकर अवहेलना की श्रेणी में आता है।

साथ ही बंदी निम्न 01 प्रकरण में विचाराधीन है:-

1. सी.जे.एम. भीलवाडा के प्रकरण संख्या 47/2020 धारा 457, 380 आई.पी.सी.

*राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 की उद्देशिका में अंकित है कि-चूंकि राजस्थान के सिद्धदोषों में अच्छे आचरण, कार्य के संतोषजनक निष्पादन, एवं स्व-अनुशासन जीवन को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से **खुली हवा शिविरों में सिद्धदोषों को भेजने** के लिए नियम बनाना, तथा इन सिद्धदोषों को पूर्व-रिहाई प्रदाय करने के लिये, सामाजिक समायोजन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता सिखाने के अवसर प्रदान करने के लिये, नियम बनाये जाना आवश्यक है।*

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत **केवल दण्डित बंदियों को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का प्रावधान है** जबकि बंदी अन्य 01 प्रकरण में विचाराधीन है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **सद्दाम पुत्र घीसू** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य ~~सहायक~~ उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।	**सदस्य सचिव** महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।	**सदस्य** संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	**सदस्य** महानिरीक्षक पुलिस कारागार राजस्थान जयपुर। (वि.)	**अध्यक्ष** महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 31.07.2023 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक **दिनांक 31.07.2023 को** महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री यू.एल.छानवाल, महानिरीक्षक पुलिस कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री अवधेश मीणा, संयुक्त शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य सचिव
4. श्री दिलबाग सिंह , उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर। — सदस्य

पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 03.02.2023 एवं 29.03.2023 में अग्रेषित किये गये 14 बंदी खुला शिविर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये जो निम्न प्रकार है:-

स्वीकृत प्रकरणों का विवरण

क्र. सं.	बंदी	वर्तमान कारागृह	टिप्पणी
1.	सतपाल उर्फ सत्या पुत्र आदराम	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर	–
2.	लक्ष्मण पुत्र जगन्नाथ	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	–

अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अंतर्गत साधारणतया व नियम 4 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया :-

क्र. सं.	बंदी	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	घनश्याम पुत्र नवल किशोर	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	बंदी खुला शिविर से दिनांक 10.07.2020 से 06.11.2020 तक फरारशुदा।
2.	बजरंग पुत्र मांगीलाल	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	बंदी खुला शिविर से दिनांक 21.03.2019 से 06.08.2020 तक फरारशुदा।
3.	नारायण पुत्र भूरजी	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	बंदी खुला शिविर से दिनांक दिनांक 13.09.2022 से 30.09.2022 तक फरारशुदा।
4.	भुरिया उर्फ जगदीश पुत्र अमरनाथ उर्फ लक्षमणनाथ	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	बंदी खुला शिविर से दिनांक दिनांक 23.08.2019 से 09.01.2020 तक फरारशुदा।
5.	सोनू पुत्र अशोक जांगिड़	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	बंदी खुला शिविर से दिनांक दिनांक 11.06.2020 से 04.02.2021 तक फरारशुदा।
6.	हरभान उर्फ काली पुत्र तेजा	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	बंदी खुला शिविर से दिनांक दिनांक 09.05.2021 से 08.01.2022 तक फरारशुदा।
7.	रमेश पुत्र किशनलाल	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	पैरोल से दिनांक 25.05.1996 से 30.08.2017 तक फरारशुदा।
8.	जोसेफ नयथी पुत्र नडोलो	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	विदेशी नागरिक
9.	कौशल उर्फ सोनू पुत्र कानचन्द	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	पैरोल से दिनांक 20.02.2004 से 22.08.2016 तक फरारशुदा।
10.	बनवारी पुत्र गणेश	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	पैरोल से दिनांक 02.11.2014 से 18.11.2020 तक फरारशुदा।

11.	बाबूलाल पुत्र भंवरनाथ उर्फ भंवरलाल	विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास	पैरोल से दिनांक 10.07.2002 से 29.04.2017 तक फरारशुदा।
12.	किशन चौधरी पुत्र हीराराम	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	पैरोल से दिनांक 28.08.2014 से 28.11.2019 तक फरारशुदा।

सदस्य उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।	**सदस्य** महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।	**सदस्य** संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	**सदस्य** महानिरीक्षक पुलिस कारागार राजस्थान जयपुर। (वि०)	**अध्यक्ष** महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 31.07.2023 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक **दिनांक 31.07.2023 को** महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री यू.एल.छानवाल, महानिरीक्षक पुलिस कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री अवधेश मीणा, संयुक्त शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य सचिव
4. श्री दिलबाग सिंह , उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर। — सदस्य

माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में निम्न 03 बंदियों के खुला बंदी शिविर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये :-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
पानसिंह पुत्र शिवचरण	वि.के.का. श्यालावास	1084/2023	12.07.2023	21.07.2023
कपिल गुप्ता पुत्र रामराज गुप्ता	के.का. अजमेर	461/2023	18.05.2023	27.05.2023
संदीप सिंह पुत्र डूंगर सिंह	वि.के.का. श्यालावास	177/2023	25.04.2023	05.05.2023

स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

1. पानसिंह पुत्र शिवचरण, वि.के.का. श्यालावास

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 13 वर्ष 08 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी अन्तर्गत धारा 460/34, 302/34 आई.पी.सी. में निरूद्ध है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर द्वारा दिनांक 12.07.2023 को निर्णय पारित कर बंदी के संबंध में पूर्व आदेश दिनांक 03.02.2023 को अपास्त कर बंदी को नियमानुसार खुला बंदी शिविर में भेजने हेतु निर्देशित किया है।

बंदी के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर बैठक दिनांक 03.02.2023 को समिति द्वारा दो अन्य प्रकरणों में विचाराधीन होने के कारण खुला बंदी शिविर में नहीं भेजने का निर्णय लिया गया था।

बंदी के विरूद्ध प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. की सजा(5 वर्ष कठोर कारावास) पूर्ण कर ली गई है एवं बंदी निम्न 02 प्रकरणों में विचाराधीन (जमानत पर) है:-

1. ए.डी.जे. संख्या-16, आगरा के प्रकरण संख्या 879/2017
2. सी.जे.एम, धौलपुर के प्रकरण संख्या 356/2016

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में बंदी के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया तथा ऐसे ही प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे दायर एस.एल.पी./डायरी संख्या 21970/2023 के निर्णय के अध्यधीन समिति द्वारा बंदी **पानसिंह पुत्र शिवचरण** को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

2. कपिल गुप्ता पुत्र रामराज गुप्ता, के.का.अजमेर

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 08 वर्ष 09 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी अन्तर्गत धारा 302, 396, 460 आई.पी.सी. में निरूद्ध है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 18.05.2023 को निर्णय पारित कर बंदी के संबंध में पूर्व आदेश दिनांक 04.11.2022 व 29.03.2023 को अपास्त कर बंदी को नियमानुसार खुला बंदी शिविर में भेजने हेतु निर्देशित किया है।

बंदी निम्न 01 प्रकरण में विचाराधीन(जमानत पर) है:-

1. ए.सी.जे. एण्ड एमएम संख्या-14, जयपुर महानगर के प्रकरण संख्या 4271/10 अन्तर्गत धारा 452, 323, 341, 354 आई.पी.सी।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में बंदी के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया तथा ऐसे ही प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे दायर एस.एल.पी./डायरी संख्या 22495/2023 के निर्णय के अध्यधीन समिति द्वारा बंदी **कपिल गुप्ता पुत्र रामराज गुप्ता** को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

3. संदीप सिंह पुत्र डूंगर सिंह, वि.के.का. श्यालावास

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2022 तक 10 वर्ष 09 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी अन्तर्गत धारा 302, 460, 323/149, 148 आई.पी.सी. में निरूद्ध है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 25.04.2023 को निर्णय पारित कर बंदी के द्वारा धारा 460 में 10 वर्ष सजा पूर्ण करने तथा 02 प्रकरणों में दोषमुक्त होने को ध्यान में रखते हुये बन्दी के खुला बन्दी शिविर प्रकरण पर विचार करने हेतु निर्देशित किया हैं।

बंदी के विरूद्ध प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. की सजा(10 वर्ष कठोर कारावास) पूर्ण कर ली गई है एवं बंदी निम्न 01 प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर) है:-

बंदी निम्न 01 प्रकरण में विचाराधीन(जमानत पर) है:-

1. ए.सी.जे.एम.(पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट) बीकानेर के प्रकरण संख्या 5641/2021 अन्तर्गत धारा 42 कारागार संशोधन अधिनियम।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में बंदी के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया तथा ऐसे ही प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे दायर एस.एल.पी./डायरी संख्या 22495/2023 के निर्णय के अध्यधीन समिति द्वारा बंदी **संदीप सिंह पुत्र डूंगर सिंह** को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य ~~सहायक~~ निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।	**सदस्य सचिव** महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।	**सदस्य** संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	**सदस्य** महानिरीक्षक पुलिस कारागार राजस्थान जयपुर। (रि.)	**अध्यक्ष** महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।